बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 250

निजी डेटा का संरक्षण

कैबिनेट ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे मौजूदा सत्र में ही संसद में पेश किया जाएगा। यह पहला ऐसा कानून है जो व्यक्तिगत या निजी डेटा के संरक्षण के लिए ठोस सिद्धांत सामने रखता है। यह निजता के मूलभूत अधिकार को संहिताबद्ध करने का भी पहला मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 के एक निर्णय में इस अधिकार की पुष्टि की थी। यह ऐसे सिद्धांत सामने रखता है जिनके आधार पर डेटा के व्यक्तिगत, संवेदनशील या अहम होने का निर्धारण किया जाएगा। यह उस प्रक्रिया के बारे में भी बताता है जिसके द्वारा ऐसा डेटा सहमति से हासिल, भंडारित या प्रसंस्कृत किया जाएगा। बहरहाल, विधेयक कोई व्यापक निजता कानून नहीं है क्योंकि यह कई बिंदुओं को अधूरा छोड़ देता है। नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के पहले इसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे में इसे पारित करने के पहले अच्छी तरह जांच-परख की आवश्यकता है। इसका शुरुआती मसौदा गत वर्ष जुलाई में न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने पेश किया था। जानकारी के मुताबिक यह देरी तमाम संशोधनों और अंतर मंत्रालयीन मशविरों की वजह से हुई। जो मसौदा संसद में पेश किया जाना है वह सार्वजनिक भी नहीं है।

इतना ही नहीं मशविरा प्रक्रिया भी अस्वाभाविक रूप से अस्पष्ट रही। इलेक्ट्रॉनिक ऐंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तमाम अनुरोधों और संसद में सवाल उठने के बावजूद किसी भी टिप्पणी को सार्वजनिक करने से मना कर दिया है। इसकी वजह से अन्य लोगों के साथ-साथ स्वयं न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण के साथ भी विवाद हुआ। इन सबका कहना था कि अब मशविरा प्रक्रिया समाप्त होने के बाद टिप्पणियों को जारी किया जाना चाहिए। समिति के मसौदे में कहा गया है कि संवेदनशील निजी डेटा केवल उन्हीं सर्वर में भंडारित और प्रसंस्कृत किया जाना चाहिए जो देश में स्थित हों। इसमें डेटा हासिल करते वक्त सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया का भी स्पष्ट उल्लेख है।

बहरहाल, विधेयक देशव्यापी निगरानी और कई उद्देश्यों के लिए बिना कारण बताए डेटा संग्रहीत करने की बात करता है। यह बचाव, अनुसंधान, जांच, अभियोजना या किसी अन्य विधिक उल्लंघन के मामले में निजी डेटा के प्रसंस्करण की इजाजत देता है। निगरानी से समुचित विधिक बचाव के अभाव में और नेत्र जैसे व्यापक निगरानी ढांचे के बीच इसे एक बड़ी कमी माना जा सकता है।

जो मसौदा पेश किया जाना है वह सरकार को तमाम गैर-व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच का अधिकार देता है। भले ही उक्त डेटा निजी संस्थान द्वारा जुटाया गया हो। गैर-व्यक्तिगत डेटा की परिभाषा व्यापक है। इसमें ऐसा डेटा भी शामिल हो सकता है जहां लोगों के नाम हटा दिए गए हों। ऐसे गैर-व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच के तमाम तरीके हैं। खासतौर पर आधार, बैंक खातों और अन्य संवेदनशील जानकारी के बाद। ऐसे गैर व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल चुनावों के दौरान मतदाताओं को अनैतिक रूप से प्रभावित करने में किया जा सकता है। मसौदा सोशल मीडिया नेटवर्क से भी कहता है कि वे उपभोक्ताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। यदि इसका इस्तेमाल सरकार के आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया गया तो देश के सोशल मीडिया जगत में अभिव्यक्ति की आजादी को काफी क्षति पहुंचेगी।

इन तमाम कमियों और अंतराल के बावजूद व्यक्तिगत डेटा संरक्षण की दिशा में यह पहला बुनियादी ढांचा अहम है। ऐसे कानून के अभाव में सरकार के अंगों और निजी क्षेत्र के लिए बिना सहमति के लोगों का डेटा जुटाना आसान है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद दो साल में हमने ऐसा देखा है। परंतु कानून बनाने वालों को विधेयक की सावधानी से परीक्षा करनी चाहिए और उचित प्रश्न उठाने चाहिए ताकि कानून की कमियों को दूर किया जा सके।

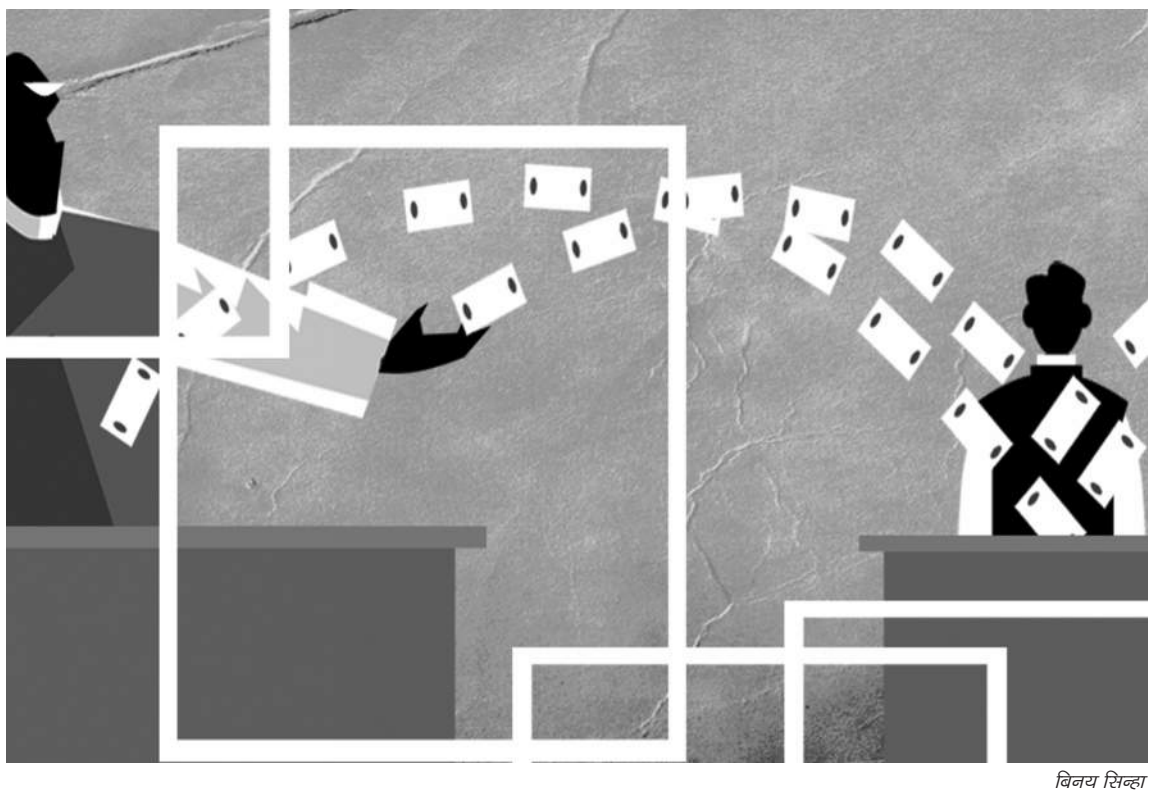

बिनय सिन्हा

छिपे हुए आंतरिक संबंध वृद्धि को कर रहे प्रभावित

राज्यों के बजट पर पड़ रहे राजकोषीय दबाव की प्रकृति चक्रीय अधिक है। वहीं कमजोर आयात के कारण बॉन्ड प्रतिफल बढ़ रहा है। विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं **नीलकंठ मिश्रा**

आर्थिक व्यवस्था एक जटिल व्यवस्था है जहां कई अंत:संबंध होते हैं जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि इनका आर्थिक गति और आर्थिक चक्र पर गहरा असर होता है।

राज्य के व्यय से शुरुआत करें तो आम धारणा में सरकार से तात्पर्य केंद्र की सरकार से होता है। जब कंपनियां भुगतान में देरी की शिकायत करती हैं तो हर कोई केंद्र की तरफ देखता है। बहरहाल, विशुद्ध आधार पर देखा जाए तो राज्य मिलकर केंद्र की तुलना में 90 फीसदी अधिक व्यय करते हैं। अपने व्यय के मामले में उन्हें केंद्र की तुलना में अधिक विवेकाधिकार भी हासिल हैं। उदाहरण के लिए केंद्र के व्यय का करीब चौथाई हिस्सा ब्याज भुगतान में जाता है। उसका पांचवां हिस्सा वेतन और पेंशन में जाता है जिसे टाला नहीं जा सकता। रक्षा व्यय, राज्यों को हस्तांतरण और सब्सिडी को इसमें जोड़ें तो केंद्र के व्यय का तीन चौथाई हिस्सा इसमें जाता है।

राज्य सरकार के भुगतान को लंबित करने की गुंजाइश अधिक होती है। राज्यों के कुल बजट को देखें तो इस वर्ष उनके पास 38 लाख करोड़ रुपये की राशि व्यय करने को है। यह पिछले वर्ष के व्यय से 19 फीसदी अधिक और जीडीपी की हिस्सेदारी के रूप में करीब एक फीसदी ज्यादा है। पूंजीगत व्यय के गत वर्ष की तुलना में 21 फीसदी बढ़कर 6.3 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। परंतु इन आंकड़ों में संशोधन के बाद काफी कमी आ सकती है। राज्य अक्सर बजट में तय व्यय एवं प्राप्ति के लक्ष्य से चूक जाते हैं। क्रियान्वयन की चुनौतियां भी हैं। हाल के वर्षों में राज्यों की उधारी तय लक्ष्य से कम रही है। इन वर्षों में प्राप्तियों में कमी इसलिए रही क्योंकि केंद्र से होने वाला कर स्थानांतरण बजट अनुमान से कम रहा। इस वर्ष हालात अधिक खराब हो सकते हैं। हमारा अनुमान है कि कुल व्यय वृद्धि सालाना आधार पर 7 फीसदी तक फिसल सकता है।

महालेखा परीक्षक (सीजीए) द्वारा केंद्र सरकार के मासिक आंकड़े पेश किए जाने के साथ ही विश्लेषक केंद्रीय कर में फिसलन का परीक्षण करते हैं। इसके साथ ही वे केंद्रीय घाटे और व्यय पर इसके प्रभाव का आकलन भी करते हैं। बहरहाल, यह देखते हुए कि केंद्रीय कर का 42 फीसदी स्वत: राज्यों को हस्तांतरित हो जाता है और राज्यों के कुल व्यय का 40 फीसदी हिस्सा इन्हीं से बनता है, कहा जा सकता है कि राज्यों पर इसका काफी असर है। राज्यों के पास अपने राजकोषीय घाटा लक्ष्य को लेकर कोई लचीलापन नहीं है। परंतु इसका आकलन मुश्किल है क्योंकि सीजीए की वेबसाइट पर सभी राज्यों के मासिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। चूंकि धीमी अर्थव्यवस्था का असर राज्यों की प्राप्तियों पर भी पड़ता है इसलिए जिन राज्यों के राजकोषीय घाटे की सीमा 3 फीसदी के आसपास है उन्हें व्यय में कटौती करनी होगी।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यय का मुद्दा हालात को और खराब कर सकता है। जब जीएसटी की शुरुआत हुई, राज्यों से वादा किया गया था कि पांच वर्ष तक सालाना 14 फीसदी की दर से राजस्व वृद्धि होगी। यह भी कहा गया था कि संग्रह में किसी भी कमी की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा जुटाए जा रहे क्षतिपूर्ति उपकर के माध्यम से की जाएगी। यह उपकर कोयला, कारों, तंबाकू और कुछ पेय पदार्थों पर लगे अधिभार से आती। गत वर्ष तक राज्यों को जीएसटी का लाभ मिल रहा था क्योंकि धीमी होती अर्थव्यवस्था के बावजूद उनका राजस्व अधिक प्रभावित नहीं हुआ। बल्कि जीएसटी में समाहित करों के साथ उनकी स्थिति सुधरी। परंतु इस वर्ष जीएसटी कर संग्रह में 14 फीसदी वृद्धि के अनुमान को चुनौती मिल सकती है। इसलिए क्योंकि जीएसटी संग्रह इतना कमजोर रहा है कि क्षतिपूर्ति उपकर की मात्रा इतनी नहीं होगी कि उसे राज्यों को सौंपा जा सके। कोयले में मंदी और वाहनों की मांग में कमी ने इस उपकर संग्रह पर असर डाला है।

यदि केंद्र इस वर्ष भरपाई नहीं कर पाता है और अगले वर्ष भी ऐसा होता है तो प्राप्तियों में जो कमी आएगी उसका असर राज्यों के व्यय पर दिखेगा। चूंकि राज्यों ने सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा लागू कर दी है इसलिए उनकी व्यय प्रतिबद्धता में भी भारी इजाफा हुआ है। उनका पेंशन बिल पहले ही कुल व्यय का 10 फीसदी है। ऐसे में व्यय में कटौती के लिए विवेकाधीन पूंजीगत व्यय में कमी की जा सकती है। शायद कंपनियां जिस लंबित भुगतान की बात कर रही हैं वह इसी वजह से है। बीते कुछ वर्षों के दौरान राज्यों के समेकित पूंजीगत व्यय का महत्त्व बढ़ा है। इसने कुछ हद तक निजी घरेलू पूंजीगत व्यय में आई कमी की भरपाई की है। राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय में कटौती का नकारात्मक असर भविष्य में आर्थिक वृद्धि पर पड़ सकता है। इससे हालात और बिगड़ेंगे।

दूसरा महत्त्वपूर्ण अंतर्संबंध है ब्याज दरों पर मंदी का प्रभाव। अर्थव्यवस्था में धीमापन आने के साथ ही आयात और वाणिज्यिक वस्तुओं के व्यापार में कमी आई है। चूंकि भारत का सेवा व्यापार 130 अरब डॉलर का है और बीते दो महीनों में उसका वार्षिक वस्तु व्यापार घाटा 125 अरब डॉलर है, तो इससे यही संकेत निकलता है कि देश चालू खाते के अधिशेष में है। यह अस्थायी हो सकता है क्योंकि सोने का आयात सामान्य स्तर से नीचे है। परंतु इस अवधि में निरंतर पूंजीगत आवक के कारण भारत भुगतान संतुलन अधिशेष की स्थिति में भी रहा। केंद्रीय बैंक द्वारा इसके समायोजन के लिए हस्तक्षेप करने के बाद देश का आरक्षित भंडार दो महीने में 15 अरब डॉलर बढ़ा।

दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय बॉन्ड कारोबारी इसे सरकारी बॉन्ड प्रतिफल में इजाफे की वजह मानते हैं। तर्क यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार में सरकारी बॉन्ड की खरीद के जरिये अथवा मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप के जरिये टिकाऊ नकदी डालता है। मुद्रा बाजार में वह डॉलर खरीदता और रुपये की बिक्री करता है। यदि डॉलर की खपत की दर इतनी अधिक है तो उसे सरकारी बॉन्ड खरीदने की आवश्यकता नहीं। इससे सरकारी बॉन्ड की मांग में कमी की स्थिति बनती है। यही कारण है कि कमजोर आयात और कमजोर अर्थव्यवस्था होने पर भी सरकारी बॉन्ड के लिए प्रभावी ब्याज दर में कमी नहीं आ रही।

बाजार प्रतिभागियों और नीति निर्माताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे अर्थव्यवस्था के इन अंतर्संबंधों की पड़ताल करें और आर्थिक गति पर इनके प्रभाव को सीमित करने के लिए कदम उठाएं।

भारतीय मीडिया फर्मों के बढ़ते आकार से कारोबार विस्तार

मीडिया मंत्र

वनिता कोहली-खांडेकर

83.6 करोड़ से भी अधिक भारतीय प्रतिदिन परंपरागत टीवी सेट पर चार घंटे से थोड़ा ही कम वक्त बिताते हैं। यह संख्या लगातार बढ़ रही है।

सोनी वायकॉम18 का अधिग्रहण करने जा रही है और सुभाष चंद्रा ने ज़ी एंटरटेनमेंट के चेयरमैन से इस्तीफा दे दिया। आखिर भारत के 1.67 लाख करोड़ रुपये के आकार वाले मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग में गत दिनों हुए इन घटनाक्रम के क्या मायने हैं?

इसका मतलब है कि मीडिया का जिस तरह से वितरण एवं उपभोग होता रहा है उसमें बुनियादी बदलाव हो रहे हैं और वे कॉर्पोरेट ढांचे में ढलते जा रहे हैं। मीडिया, दूरसंचार एवं तकनीक का सम्मिलन पूरा हो चुका है और बाजार विकास के इस दौर में आकार ही सबसे अहम तत्त्व है। वर्ष 2017 में रुपर्ट मर्डोक ने ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी फॉक्स की अधिकांश मनोरंजन परिसंपत्तियां 69 अरब डॉलर वाली वॉल्ट डिज्नी कंपनी को बेच दी थीं। इस तरह सेंचुरी फॉक्स ने उस कारोबार से अपना नियंत्रण खत्म कर लिया जिसे उसने छह दशकों में शिद्दत से खड़ा किया था। पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह सौदा इस अहसास का नतीजा था कि मनोरंजन बाजार नए सिरे से गठित हो रहा है, लिहाजा 29 अरब डॉलर से भी कम राजस्व वाली सेंचुरी फॉक्स अपनी प्रासंगिकता के लिए जद्दोजहद करती रह जाएगी। नए प्रतिस्पर्द्धी बेहद बड़े थे और उनके पास कारोबार में बने रहने की अधिक क्षमता थी। इनमें ऐपल (260 अरब डॉलर), एमेजॉन (233 अरब डॉलर), एटीऐंडटी (184 अरब डॉलर) और गूगल एवं यूट्यूब की मूल कंपनी अल्फाबेट (137 अरब डॉलर) शामिल हैं। तकनीक एवं दूरसंचार क्षेत्र की ये दिग्गज कंपनियां दर्शक जुटाने के लिए अरबों खर्च कर रही हैं। इस कारोबार में अभी तक नेटफ्लिक्स (16 अरब डॉलर) का ही दबदबा रहा है। केबल केनक्शन को तिलांजलि देने (कॉर्ड-कटिंग) से भुगतान वाले टीवी कारोबार में मार्जिन बढ़ा जिससे मुनाफे का नीचे गिरना लाजिमी ही था। अधिकतर विश्लेषकों ने इस बिक्री की तारीफ करते हुए कहा था कि मर्डोक ने फॉक्स को भविष्य के झटके झेलने लायक बना दिया।

हालांकि इंटरनेट एवं मांग-आधारित मनोरंजन एक वैश्विक बाजार में संचालित होता है। वैसे भारत मीडिया क्षेत्र में कॉर्पोरेट परिपक्वता या उन्नत पारिस्थितिकी के लिहाज से बाकी दुनिया से दशकों पीछे है। यहां पर इंटरनेट ने वर्ष 1995 में दस्तक दी थी। लेकिन बाजार वृद्धि के कई चरणों को धता बताते हुए यह अलग ढंग से बढ़ा और आज दुनिया भर में वीडियो उपभोग करने वाले अग्रणी देशों में शामिल है। केवल ऑनलाइन ही नहीं बल्कि टीवी पर भी ऐसा ही हो रहा है।

83.6 करोड़ से भी अधिक भारतीय प्रतिदिन परंपरागत टीवी सेट पर चार घंटे से थोड़ा ही कम वक्त बिताते हैं। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। और उनमें से 60 करोड़ से अधिक लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ड्रामा सीरीज, फिल्में एवं उपभोक्ता-सृजित सामग्री देख रहे हैं। कॉमस्कोर के आंकड़े बताते हैं कि गूगल के वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब (27.5 करोड़), टाइम्स ग्रुप के एमएक्स प्लेयर (9.5 करोड़) और डिज्नी के हॉटस्टार (9.1 करोड़ उपभोक्ता) सबसे बड़े लाभार्थी हैं। अमेरिका में ओवर-द-टॉप (ओटीटी) उपभोग का बड़ा हिस्सा केबल पाइपों के दम पर चलता है लेकिन भारत में यह दूरसंचार पाइपों के दम पर चलता है। भारत के कुल मीडिया एवं मनोरंजन बाजार का 45 फीसदी हिस्सा टीवी प्रसारण का है। देश के शीर्ष दो मीडिया समूहों- ज़ी एवं स्टार मुख्य रूप से ऐसे टीवी प्रसारक हैं जिनका अन्य मीडिया कारोबार में भी दखल है। डिज्नी के हाथों फॉक्स के अधिग्रहण का मतलब यह था कि स्टार इंडिया का स्वामित्व अब एक ऐसी कंपनी के पास है जो फॉक्स के दोगुने आकार की है। भारत में 90 अरब डॉलर के आकार वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली जियो के उभार, 12 अरब डॉलर वाली भारती एयरटेल और गूगल से खतरा है। मोटे तौर पर भारत में 10,000 करोड़ रुपये राजस्व के साथ यह देश की सबसे बड़ी मीडिया फर्मों में से एक है। ऐसे में प्रसारकों के लिए खुद को सशक्त करना तात्कालिक जरूरत हो गया है।

पिछले साल के आखिरी दिनों में जब ज़ी को अपना कर्ज कम करने की जरूरत थी तो उसने एक रणनीतिक निवेशक लाने का फैसला किया। कॉमकास्ट (84.5 अरब डॉलर) और सोनी (78 अरब डॉलर) संभावित निवेशक माने जा रहे थे लेकिन लेनदारों से दबाव बढ़ने पर ज़ी एंटरटेनमेंट का 95 फीसदी से भी अधिक हिस्सा वित्तीय निवेशकों के पास चला गया। वे रणनीतिक बिक्री जल्द ही कर सकते हैं। बड़े दर्शक आधार वाला प्रसारक ज़ी किसी भी तकनीकी या दूरसंचार कंपनी के लिए अहम पूंजी साबित होगी।

अपने पोर्टफोलियो को सुधारने के अभियान में लगी सोनी वायकॉम18 में बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की सोच रही है। ऐसा होने पर सोनी भारत की दूसरी बड़ी मीडिया फर्म बन जाएगी। अगर सब कुछ अनुमान के मुताबिक हुआ तो भारतीय मीडिया जगत की शीर्ष पांच कंपनियां डिज्नी स्टार, सोनी-वायकॉम18, गूगल, टाइम्स ग्रुप और ज़ी एंटरटेनमेंट ही होंगी। ऐसा होने पर दक्षिण भारत का अग्रणी मीडिया समूह कलानिधि मारन का सन टीवी खासा असुरक्षित हो जाएगा।

वैश्विक एवं भारतीय कंपनियों के राजस्व आंकड़ों को देखें तो वे बहुत बड़े हैं। और ये सभी कंपनियां इस समय अपने विस्तार के दौर में हैं। फिलहाल मीडिया एवं मनोरंजन कारोबार महज आकार तक सीमित है। इससे कई विलय एवं अधिग्रहण होंगे और कुछ अरब डॉलर स्वाहा होंगे। तब जाकर असली विजेता सामने आएंगे।

कानाफूसी

शोक प्रदर्शन

कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाये तो तमिलनाडु के राजनेता आमतौर पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत के दौरान सफेद कमीज और सफेद रंग की मुंडू (एक किस्म की धोती) अवश्य पहनते हैं। बहरहाल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के नेता जिनमें पार्टी समन्वयक और मुख्यमंत्री एडाप्पडी के पलनिस्वामी और उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम शामिल थे, गुरुवार को काली पोशाक में अपने कार्यालय पहुंचे। गुरुवार को प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और अन्नाद्रमुक की सर्वेसर्वा रही जे जयललिता की तीसरी पुण्यतिथि थी। कुछ नेत्रियां भी मरीना बीच पर जयललिता की समाधि तक पैदल मार्च में काली साड़ी पहने हुए नजर आईं। नेताओं ने अपने ट्विटर पेज भी काले कर लिए और अम्मा (उन्हें अम्मा कहते थे) की तस्वीर के साथ शोक संदेश लिखे।

बिना फोन के

महत्त्वपूर्ण बैठकों में मोबाइल फोन की वजह से होने वाले व्यवधान को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गत जून में यह आदेश दिया था कि मंत्रिगण कैबिनेट की बैठकों मे मोबाइल नहीं लाएंगे। हाल ही में एक कैबिनेट बैठक के दौरान प्रदेश के एक वरिष्ठ अफसरशाह मोबाइल पर बात करते देखे गए। इससे नाराज मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि अब प्रदेश के अफसरशाह भी बैठकों में फोन लेकर नहीं आएं।

आपका पक्ष

देश के प्रहरियों की भी सुध लें

हाल में एक हृदयविदारक घटना सामने आई जिसमें छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले में पदस्थ आईटीबीपी के एक जवान ने अपने चार सहकर्मियों की गोली मार कर हत्या कर दी। इस घटना के पीछे के वास्तविक कारणों की जांच अभी जारी है। लेकिन इन घटनाओं को सुरक्षा बलों के सदस्यों में विभिन्न कारणों से व्याप्त अवसाद तनाव एवं कुंठा से होने वाली घटनाओं से जुड़ी कड़ी के रूप में माना जा सकता है। अक्सर सुरक्षा बलों के जवानों की कई प्रकार की समस्याएं सामने आई हैं। आवश्यकता होने पर भी सैनिकों को अवकाश नहीं मिलना आम समस्या है। हाल में सुकमा में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के संबंध में एक हैरान करने वाला तथ्य सामने आया है। उक्त हमले के कुछ दिन पूर्व हुए हमले में वह जवान दृढ़ता से लड़ते हुए जांघ में गोली लगने से घायल हो गया था। कुछ दिन उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी होते ही उसे सीधे मोर्चे पर तैनात कर दिया गया। अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर मांगे गए अवकाश के निवेदन को उच्चाधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। जवान फिर भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। निजी कारणों अथवा अनुशासन के नाम पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कनिष्ठ कर्मचारियों, अधिकारियों को प्रताड़ित करने के कारण हुई आत्महत्या की घटनाएं भी सामने आई हैं जो चिंतनीय है। उक्त घटनाओं की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जवानों की ओर से आ रही दिक्कतों से जुड़ी शिकायतों का संज्ञान लिया जाना चाहिए। किसी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच तटस्थ एवं निष्पक्ष संस्था द्वारा उच्च न्यायालय की देखरेख में की जानी चाहिए। मनोवैज्ञानिक सहायता लिए जाने पर भी विचार किया जा सकता है। सरकार को जवानों के कल्याण पर विचार करना चाहिए।

ऋषभ देव पांडेय, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में आईटीबीपी के एक जवान ने अपने चार सहकर्मियों की हत्या कर दी थी

भारत पर दूसरे देशों की आबादी का बोझ

सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक ला रही है। इसका मकसद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के रूप में भारत आए उन गैर मुस्लिमों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले सरकार राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण लाई थी जिसे असम में लागू किया गया था। असम में लाखों लोगों को भारतीय नागरिकता नहीं मिल पाई है। ऐसा माना जा रहा है कि ऐसे लोग बांग्लादेश से घुसपैठ कर भारत आए थे। हालांकि सरकार के इस कदम का विपक्षी पार्टियों के नेता विरोध कर रहे हैं। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। यहां सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार मिले हैं। ऐसे में किसी विशेष धर्म के लोगों को नकारना उचित प्रतीत नहीं होता है। लेकिन क्या भारत दूसरे देशों से घुसपैठ करने वालों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता है। अगर भारत में घुसपैठिये नहीं रोके गए तो भारत पर बोझ बढ़ता जाएगा। सरकार को धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं देनी चाहिए। अगर सरकार घुसपैठ रोकना चाहती है तो घुसपैठिया किसी भी धर्म का हो उसे देश से बाहर कर देना चाहिए।

अमित कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।